

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 209 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 14/12/2024

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के आदेश क्रमांक-1654/2024 रीवा, दिनांक-10.12.2024 के द्वारा 15वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय रिक्त होने के फलस्वरूप उनकी न्यायालय के राजीनामा योग्य लंबित सिविल प्रकरणों को श्री संदीप श्रीवास्तव पंचम जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में रखने हेतु खण्डपीठ गठित की गई है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15वें जिला न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय) के न्यायालय से प्राप्त राजीनामा योग्य सिविल प्रकरणों की सूची क्रमांक-01 से 22 तक को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री संदीप श्रीवास्तव पंचम जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sd /
(राकेश मोहन प्रधान)प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)पृष्ठांकन क्र0 6560 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 14/12/2024

प्रतिलिपि:-

1. पंचम/15वें जिला न्यायाधीश रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
4. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)